समाचार.प्रकाषनार्थरू.

नॉन स्लम के 2240 ईडब्ल्यूएस हितग्राहियों में से 542 हितग्राहियों ने फ्लेट हेतु जमा कराये 3ण्25 करोड़

रतलाम 07 अप्रैल । नॉन स्लम क्षेत्र के हितग्राहियों से प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित ईडब्ल्यूएस फ्लेट हेतु पूर्व में आमंत्रित आवेदनों में से पात्र पाये गये 2240 हितग्राहियों से पंजीयन राषि जमा कराये जाने हेतु नगर पालिक निगम द्वारा संबंधितों को सूचना.पत्रए प्रेस विज्ञप्तिए समाचार जारी कर व एलान ;उद्घोशणाद्ध करवाये जाने के तहत 5ए 6 व 7 अप्रैल 43 हितग्राहियों ने हितग्राही का संपूर्ण अंषदान 3ए50ए000 करवाते हुए 1 करोड़ 50 लाख 50 हजार व 499 हितग्राहियों द्वारा हितग्राही अंषदान का 10 प्रतिषत 35ए000 जमा करवाते हुए 1ए74ए65ए000 की राषि जमा करवाई इस प्रकार कुल 3 करोड़ 25 लाख 15 हजार की राषि जमा कराई। नॉन स्लम के पात्र हितग्राही अंषदान की संपूर्ण राषि रूपये 3ण्50 लाख रूपये ऑन लाईन व ऑफ लाईन पंजाब नेषनल बैंक स्टेषन रोड पर प्रातः 10 से सांय 4ः30 के मध्य जमा करा सकते है। 2240 हितग्राहियों में से 43 हितग्राहियों द्वारा अंषदान की संपूर्ण राषि व 499 हितग्राहियों द्वारा अंषदान का 10 प्रतिषत 35ए000ध्. की राषि जमा कराई गई है षेश 90 प्रतिषत राषि 3ए15ए000ध्. तत्काल जमा कराये जाने पर लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जाकर रजिस्ट्री करवाई जायेगी जिसमें किसी प्रकार का षुल्क नहीं लगेगा।

निगम अधिकारी एवं कर्मचारी कर्तव्य स्थल पर ड्रेस कोड में रहें उपस्थित

रतलाम 7 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नगर निगम कार्यालय व मैदानी अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देषित किया है कि वे अपने कर्तव्य स्थल पर अनिवार्य रूप से ड्रेस कोड में उपस्थित रहना सुनिष्चित करें अन्यथा विभागाध्यक्ष एवं कर्मचारियों के विरूद्ध अनुषासनिक कार्यवाही की जायेगी।

मो0 षेख व श्री कुरेषी का एक.एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम 7 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा 7 अप्रैल गुरूवार की पेयजल सप्लाय की जानकारी वायलैस सेट पर कार्यपालन यंत्री जलप्रदाय विभाग श्री मोहम्मद हनीफ षेख से जानकारी चाहे जाने पर जानकारी देने में लापरवाही बरतने पर श्री षेख का एक दिवस का वेतन काटा जाकर कारण बताओ सूचना.पत्र जारी किया गया।

इसके अलावा सुदगुदड़ी मार्ग पर निर्मित भवनों के भवन अनुज्ञा की फाईलें 3 दिवस पहले प्रस्तुत करने के निर्देष प्रभारी सहायक यंत्री श्री अनवर कुरेषी को दिये जाने के बाद भी फाईल प्रस्तुत नहीं करने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर कारण बताओ सूचना.पत्र जारी किया गया।

बिना सूचना के अनुपस्थित 4 ड्रायवर व 3 हैल्पर का एक दिवस का वेतन काटा

5 से कम ट्रीप लगाने वाले ड्रायवर का एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम 7 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार बिना सूचना के अनुपस्थित कचरा संग्रहण वाहन के चालक जितेन्द्र तोमरए संजय. अनोखीलालए राजेष वर्माए जीवन परमारए हैल्पर तुफान घोसरए राहूल.दषरथए राहूल.अषोक व 5 से कम ट्रीप लगाने वाले चालक विकास.अषोक का एक दिवस का वेतन काटा जाकर कारण बताओ सूचना.पत्र जारी किया गया।

7 अप्रैल रविवार को कचरा संग्रहण हेतु लगाई 248 ट्रीप

113 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहूचा

5 से अधिक ट्रीप लगाने वाले ड्रायवर व हैल्परों का होगा सम्मान

रतलाम 7 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले

कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 7 अप्रैल गुरूवार को 113 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

7 अपै्रल गुरूवार को डम्पर से 24435 किलोए टेªक्टर से 13220 किलोए मैजिक सूखा कचरा 51005 किलोए मैजिक गीला कचरा 24420 किलो इस तरह कुल 113080 किलो कचरा जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

23 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा

दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन

बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होगें सेवा से बर्खास्त

रतलाम 7 अप्रैल । कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार वार्डो में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवक्षकों द्वारा वार्डो में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत प्रातः 18 व दोपहर में 5 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तध्निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की षिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की षिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।

7 अप्रैल गुरूवार को वार्डो मंे सफाई मित्रों की उपस्थिति के दौरान प्रातः झोन क्रमांक 1 में अजय.विनोदए बादल.दिलीपए विजय.फुलचन्दए सचिन.रामसेवकए उमेष.प्रहलादए सुनील.षंकरलालए अर्जून.दीपकए विषाल.मुकेषए झोन क्रमांक 2 सुनील.ष्यामलालए बबीताबाई.कमलए सोमदीप.सुदेषए नानालाल.रमेषए सुगनाबाई.षंकरए झोन क्रमांक 3 में राजु.हीरालालए दीपक.रामभजनए झोन क्रमांक 4 में कन्हैयालाल.कमलए दोपहर की षिफ्ट में झोन क्रमांक 2 में विमलाबाई पति नारायणए लताबाई.

संजयए राजबाई पति बाबुलालए कृशणाबाई पति रतनए झोन क्रमांक 4 में मनीश. मुकेष इस तरह 18 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तध्निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते है उन्हे सेवा से बर्खास्तध्निलबंन की कार्यवाही की जायेगी।

गंदगी करने पर तीन दुकानें सील

गदंगी करने व अमानक पॉलीथीन उपयोग करने पर 9 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 7 अप्रैल । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर षहर को गंदा करते हैंए मलबा डालकर व सामान से अतिक्रमण करते हैए अमानक पॉलीथीन का उपयोग एवं विक्रय करते हैंए खुले में यूरिन करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 7 अप्रैल गुरूवार को 9 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया साथ ही गंदगी करने पर बंजली में जाट रेस्टोरेंटए मॉ काली ढ़ाबा व डिलीवरी कोरियर कम्पनी सालाखेड़ी को सील किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार षंातिलालए अब्दुल पर 500. 500ए षुभम् पालए सांवरिया टी स्टॉल पर 250.250ए नित्यानन्द रेस्टोरेंटए सिंगलाए भवंरलालए मुकेष पर 200.200 तथा नन्दू पर 50 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविश्य में गंदगी व अमानक पॉलीथीन का उपयोग ना करने की समझाईष दी।

स्पॉट फाईन की कार्यवाही सर्वश्री कुलदीप भट्टए विजय मेहनाए मनीश झांझोटए अंकित पुरोहितए राजकुमार भाटी आदि के द्वारा की गई।

रांगोली से दिया नागरिकों को स्वच्छता का संदेष

रतलाम 7 अप्रैल । नगर के नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किये जाने हेतु नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर के विभिन्न चौराहोए सार्वजनिक स्थलोंए षासकीय भवनों आदि पर स्वच्छता का संदेष देने वाली रांगोली बनाई जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगर को साफ.स्वच्छ बनाने हेतु नगर निगम तो अपना कार्य कर ही रहा है रतलाम नगर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में नम्बर 1 तभी बनाया जा सकता है जब नगर के नागरिकों की इसमे सहभागिता हो। इस कार्य में आम नागरिकों की सहभागिता व जागरूकता हेतु नगर के विभिन्न स्थानों पर रांगोली बनाकर स्वच्छता का संदेष दिया जा रहा है।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिषत अवैध निर्माण का होगा प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध

30 जून तक प्रषमन षुल्क में दी जा रही 20 प्रतिषत छूट

रतलाम 7 अप्रैल । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध के तहत 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेष षासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध हेतु नियमों में संषोधन कर अब 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये है।

कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध 30 जून के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरूद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

100 मॉईक्रान से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित

रतलाम 7 अप्रैल । रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में 100 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक ;प्लास्टिक स्टीक सहित ईयर बर्डए बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिकए प्लास्टिक झण्डेए कैंडी स्टिकए आईस्क्रीम स्टीकए सजावट में उपयोग होने वाले थर्मोकोलए प्लास्टिक प्लेट्सए कपए ग्लासए फोर्कए चम्मचए चाकूए स्ट्राए टेª ए स्वीट बाक्सए निमंत्रण पत्रए सिगरेट पैकेट को कव्हर करने वाली पैकिंग फिल्मए प्लास्टिक स्टिर्रस व 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीबीसी के बैनरद्ध के उपयोग को मध्यप्रदेष प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड व कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
रतलाम नगर के समस्त प्लास्टीक ;पॉलीथीनद्ध निर्माताए भण्डारकर्ताए विक्रेताए दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एव ंना ही भण्डारणए विक्रय तथा उपयोग करें। उपरोक्त का उल्लघंन किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।
नगर के नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं कागज से निर्मित थैलियों का उपयोग कर नगर को स्वच्छए सुन्दर बनाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।

नगर निगम उठायेगा निर्माण एवं विध्वंस अपषिश्ट सामग्री

सिविक सेंटर में बनाया निर्माण एवं विध्वंस सामग्री केन्द्र नागरिक मो0नं0 7471144078 पर करें संपर्क

रतलाम 7 अप्रैल । निर्माण एवं विध्वंस अपषिश्ट सामग्री के नियमानुसार निश्पादन हेतु नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। नागरिक मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छ भारत मिषन 2ण्0 के अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। भवन निर्माण कर्ता भवन निर्माण अपषिश्ट सामग्री कांक्रीटए ईंटए मुरमए मलबाए स्टीलए लकड़ीए प्लास्टिकए मोर्टरए साइल आदि को मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते है।

ष्वान पालकों को अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन अनिवार्य रूप से करायें

रजिस्ट्रेषन नहीं कराने पर संबंधित के विरूद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही

रतलाम 7 अप्रैल । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में ष्वान पालते हैं वे अपने ष्वान का रजिस्टेªषन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस षाख में अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत ष्वान पालकों द्वारा अपने ष्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा ष्वान की भांति छोड़ दिया जाता है तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे ष्वानों एवं ष्वान मालिकों के लिये नगर पालिक

निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे ष्वान पालक जिन्होने अपने ष्वान का रजिस्टेषन नहीं कराया है उन्हे नगर निगम द्वारा सूचना.पत्र जारी किये जा रहे है रजिस्टे[a]षन नहीं कराने वाले ष्वान पालकों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ष्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस षाखा में प्रति ष्वान पंजीयन षुल्क रूपये 1000६ एवं लायसेंस षुल्क रूपये 500६ प्रति ष्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेेतु प्रतिवर्श 100६ रूपये जमा कराना होगा। ष्वान पालकों को अधिकतम् 2 ष्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा ष्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस षाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने ष्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

3369 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए

स्वरोजगार ऋण से 120 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 7 अप्रैल । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यषील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु 3149 हितग्राहियों को राषि रूपये 10ए000६ तथा द्वितीय कार्यषील पूंजी हेतु 220 हितग्राहियों को राषि रूपये 20ए000६ ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है।

एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 115 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 5 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवष्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 7 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देषित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देषित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि दोनो पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कषॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देषित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 7 अप्रैल । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले. नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।
वार्डो की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।
समाचारध्जण्संण्विण्ध्हेमन्तध07ण04ण2022ध्नण्पाण्निगमए रतलामण